uxj iapk;r nsgjk] rglhy nsgjk] ftyk dkaxM+k] fgekpy izns'k ds ys[kksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

vads{k.k vof/k 01-04-09 ls 31-03-2011

Hkkx&,d

iSjk 1 ¼d½ izkjfEHkd %&

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिषों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संषोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेष के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

vads{k.k vof/k ds nkSjku vgj.k ,oa forj.k vf/kdkjh ds in ij fuEufyf[kr v/;{k o lfpo dk;Zjr jgs %&

v/;{k %&

Øekad	uke	vof/k
1	श्रीमति नीलम चौहान	01.04.2009 से 30.01.2011
2	श्रीमति सुनीता कुमारी	31.01.2011 से 31.03.2011

lfpo %&

Øekad	uke	vof/k
1	श्री चमन लाल	01.04.2009 से 31.03.2011

¼[k½ uxj iapk;r nsgjk ds ys[kk vof/k 04@2009 ls 03@2011 esa ikbZ xbZ xEHkhj vkifÙk;ksa dk lf{kIr lkj %&

Øekad	iSjk la[;k	vads{k.k vkifÙk dk lf{kIr lkj
1.	10	वित्तीय वर्ष 2009–10 व 2010–11 में प्राप्त अनुदानों में से ₹98.87 लाख की राषि के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी न करने बारे।
2.	12	अनुदान राषि ₹34.72 लाख को निर्धारित समयावधि में व्यय न करना।

3.	13	गृह कर के रूप में दिनांक 31.03.11 को ₹ 10.20 लाख वसूली हेतु शेष।
4.	14	गृहकर मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर में दिनांक 31.03.11 को वसूली हेतु शेष राषि को ₹2.71 लाख कम दर्षाना।
5.	17	दुकानों के किराए के रूप में दिनांक 31.03.2011 को ₹11.89 लाख वसूली हेतु शेष।
6.	19	पट्टा प्रतिभूति राषि को किराया अनुबन्ध करने के उपरान्त सचिव द्वारा अपने स्तर पर कांट–छांट कर कम करने के कारण नगर पंचायत को हुई वित्तीय हानि राषि ₹1.74 लाख।
7.	20	पट्टा प्रतिभूति राषि के रूप में वसूली गई ₹5.24 लाख की राषि में से ₹4.54 लाख को देय किराए के विरूद्ध अनियमित एवं गलत रूप से समायोजन करना।
8.	23	बस अड्डा व पार्किंग का ठेका वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए ₹2286800/–व 2010–11 में ₹2150100/–के लिए नीलाम करने के कारण ₹1.37 लाख की वित्तीय हानि।
9.	24	भारत संचार निगम लिमिटेड से ₹17.01 लाख की वसूली शेष।
10.	26	व्यवसायिक कर के रूप में ₹0.13 लाख की वित्तीय हानि।
11.	39	दिनांक 31.03.11 को ₹4.25 लाख की अग्रिम राषियाँ समायोजन हेतु शेष।

¼x½ xr vads{k.k izfrosnu %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''अ'' पर दर्षाई गई है। यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विषेष अभियान/कार्यवाही सुनिष्चित करे व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करे ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

Hkkx nks

2 orZeku vads{k.k %&

नगर पंचायत देहरा के लेखों अवधि 04/09 से 03/11 तक का अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुषील कुमार, आर्टिकल असिस्टैंट द्वारा दिनांक 08.08.11 से 07.09.11 तक नगर पंचायत देहरा में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया हैं अंकेक्षण में अनुवर्ती पैरों में दर्षाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत किया गया।

vk; %& 03@2010 o 03@2011

O;; %& 01@2010 o 08@2010

यहां पर यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर पंचायत देहरा के सचिव द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। नगर पंचायत सचिव द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना न प्रदान करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं हैं स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 vads{k.k 'kqYd %&

नगर पंचायत देहरा के लेखों अवधि 04/09 से 03/11 तक के अंकेक्षण करने का शुल्क कार्य दिवसों के आधार पर ₹20100/—आंका गया है इस राषि का भुगतान नगर पंचायत देहरा द्वारा हिमाचल ग्रामीण बैंक देहरा के बैंक ड्राफ्ट 719381, दिनांक 03.09.2011 के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग षिमला—171009 को कर दिया गया। अंकेक्षण शुल्क का विवरण परिषिष्ट—''क'' पर संलग्न है।

4 foÙkh; fLFkfr %&

अवधि 01.04.2009 से 31.03.2011 तक स्वः स्त्रोतों व अनुदानों से प्राप्त आय व व्यय की स्थिति का विवरण सचिव नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध सूचना अनुसार परिषिष्ट—''ख'' पर संलग्न हैं रोकड़ बही का बैंक से समाधान का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट—''ग'' व दिनांक 31.03.2011 को बैंक में निवेष की गई राषि का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट—''घ'' पर संलग्न है।

5 fookg iathdj.k 'kqYd fu/kkZfjr nj ls olwy u djus dk dkj.k ₹15000@&dh gkfu ½&

निदेशक, शहरी विकास विभाग षिमला हिमाचल प्रदेष के पत्र संख्याः यू0डी0एच0(ए)(3)–13/87–III, दिनांक 17.06.08 के अनुसारए तृतीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिषों को लागू करने के प्रयोजन से हिमाचल प्रदेष विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 व हिमाचल प्रदेष जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2003 में संषोधन करते हुए विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200/–व जन्म एंव मृत्यु पंजीकरण शुल्क ₹100/–निर्धारित किया गया है व जिसे तुरन्त प्रभाव से लागू करने हेतु नगर पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्याः 322, दिनांक 23.07.2008 को पारित किया गया। उक्त पत्र एवं प्रस्ताव संख्याः 322 के स्वतः स्पष्ट होने के बावजूद भी नगर पंचायत देहरा में उक्त कार्य हेतु नियुक्त कर्मचारी द्वारा दिनांक 23.07.08 से 31.03.11 तक (विवाह पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज क्रम संख्याः 27 से 101 तक कुल 75) 75 शादियों के दर्ज करने के लिए विवाह पंजीकरण ₹15000/–की वसूली नहीं की गई है। जिसके कारण पंचायत कोष में ₹15000/–कम जमा हुए हैं। जिसका उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त उक्त राषि समबन्धित उत्तरदायी से वसूलने के उपरान्त पंचायत कोष में जमा करवाना सुनिष्चित करें।

6 ₹1000@&dk nq:i;ksx ½&

जाँच के दौरान पाया गया कि माह 03/2010 में तहबाजारी रसीद बुक नम्बर 131 में विभिन्न रसीदों के अन्तर्गत वसूली गई राषि ₹3160/–में से जी–8 संख्याः 38/45, दिनांक 04.03.2010 को ₹2160/–ही जमा करवाए हैं व शेष राषि ₹1000/–का दुरूपयोग किया गया है। जिसे अंकेक्षण के दौरान ही सचिव के ध्यानार्थ लाया गया व सचिव द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए राषि ₹1000/–सम्बन्धित दोषी कर्मचारी द्वारा जी–8 संख्याः 20/18, दिनांक 07.09.11 के माध्यम से जमा करवा दिए हैं व इस कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया है।

7 vk; izkfIr grq dkVh xbZ th&8 jlhnksa dk lUnHkZ esa ½&

निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः 01/63/06–यू0डी0 (ऑडिट)–बी0ओ0एल0–1–12812, दिनांक 15.11.06 के अनुसार ''प्रत्येक नगर पंचायत/पालिका समय–समय पर प्रस्ताव पारित करके यह निर्धारित करेगी कि नगर पंचायत/पालिका के किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जी–8 हस्ताक्षारित की जाएगी।'' परन्तु आष्यर्चजनक तथ्य है कि नगर पंचायत देहरा द्वारा उक्त पत्र में विहित आदेषों की आज तक पालना नहीं की गई है और न ही उक्त पत्र के अनुसार प्रत्येक जी'–8 बुक पर दिया जाने वाला प्रमाण पत्र कि ''रसीद बुक में

कितनी रसीदें हैं'' सचिव नगर पंचायत देहरा द्वारा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रयोग हो चुकी जी–8 पर आवष्यक प्रमाण पत्र कि ''इस रसीद बुक के अन्तर्गत संग्रह की गई राषि का लेखांकन पूर्ण करने उपरान्त यह राषि पंचायत निधि में जमा करवा दी है'' नहीं दिया जा रहा है। जो कि उक्त पत्र के अन्तर्गत जारी दिषा निर्देषों की स्पष्ट अवहेलना है। उक्त पत्र के दिषा निर्देषों की अनुपालना न करने के कारणों को तथ्यों सहित आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए। तुरन्त प्रभाव से उक्त पत्र में उल्लेखित सभी निर्देषों की कड़ाई से अनुपालना की जाए ताकि किसी भी प्रकार के गवन की अषंका को रोका जा सके। यहां यह भी उल्लेखित किया जाता है कि जी–8 का स्टोर एवं स्टॉक व जारी करने का कार्य नगर पंचायत देहरा में एक चौकीदार श्री राजकुमार को दिया है जो एक वित्तीय नियमों की गम्भीर अवहेलना है।

8 ¼i½ cd }kjk L=kr ij dkV x, VDl ₹10067@&dh iu tek ifof"V cpr ikl cd e u n'kkuk ½&

जाँच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा पैन्षन रोकड़ बही, सावधि जमा योजना के अन्तर्गत सी0वी0आई0 बैंक देहरा में एफ0डी0आर0 संख्याः 0129205006002 के अन्तर्गत दिनांक 16.03.07 को निवेषित की गई राषि ₹2,00,000/–की परिपक्वता तिथि 16.03.11 थी तथा परिपक्वता राषि ₹2,91,161/–थी लेकिन निवेषित राषि को दिनांक 16.03.11 को परिपक्व न करवा कर लगभग 3 माह बाद दिनांक 20.06.11 को परिपक्व करवाया गया। फलस्वरूप बैंक द्वारा 3 माह का कोई भी ब्याज नहीं दिया है व दिनांक 31.03.11 को परिपक्वता राषि ₹291161/–की जगह ₹2,81,094/–ही क्रैडिट दिया गया। ₹10,067/–स्त्रोत पर कर कटौती के रूप में काटे गए दर्षाए हैं। यद्यपि बैंक द्वारा स्त्रोत पर कर के रूप में काटी गई राषि का पुनः क्रैडिट देने का प्रमाण पत्र दिया है तथापि उक्त राषि ₹10,067/–की जमा प्रविष्टि की सत्यापना वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सम्भव नहीं हुई है क्योंकि सम्बन्धित बचत पास बुक अप–टू–डेट नहीं थी। अतः उक्त जमा प्रविष्टियाँ आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

¼ii½ lkof/k tek ;ktuk d vUrxr fuof'kr jkf'k dk ifjiDo frfFk d 3 ekg njh l ifjiDo djoku d dkj.k ₹6915@&C;kt dh gkfu ½&

सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेषित राषि को दिनांक 16.03.11 की जगह दिनांक 20. 06.11 को लगभग 3 माह देरी से परिपक्व करवाने व 3 माह हेतु बैंक द्वारा कुछ भी ब्याज न देने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित बैंक से 3 माह का उक्त राषि पर ब्याज प्राप्त करने हेतु आवष्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए। बैंक द्वारा ब्याज न देने की अवस्था में ब्याज स्वरूप हुई

हानि ₹6,915/–की वसूली सावधि जमा योजना की राषि को देरी से परिपक्व करवाने हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित हैं क्योंकि यदि यह राषि 20.06.11 तक पूर्व देय ब्याज दर 9.50% से सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेषित रहती तो इस राषि पर नगर पंचायत देहरा को अतिरिक्त ब्याज ₹6,915/–प्राप्त होता।

9 ¼i½ lkof/k tek ;kstuk ds vUrxZr fuosf'kr jkf'k ij cSad }kjk ₹2]974@&de C;kt nsus ckjs

जाँच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा हिमाचल ग्रामीण बैंक देहरा में सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेषित राषि पर बैंक द्वारा परिपक्वता मूल्य पर देय ब्याज की तुलना में कम ब्याज दिया है। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :–

Ø0 l0	fuos'k dh frfFk	fuosf'kr jkf'k	C;kt nj	ifjiDork frfFk	ifjiDork jkf'k	izkIr dh xbZ jkf'k	ns; C;kt	izkIr C;kt	vUrj
1	26.08.09	429260	6.50%	26.08.10	457899	456208	28639	26948	1691
2	26.08.09	107535	6.50%	26.08.10	114697	113414	7162	5879	1283
								;ksx	₹2974

अतः कम ब्याज प्राप्त करने के कारण स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित बैंक से कम दी गई ब्याज की राषि की वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए।

¼ii½ L=ksr ij dkVh xbZ dj jkf'k ₹29]497@&esa ls ₹24]290@&gh [kkrs esa cSad }kjk ØsfMV fn;k tkuk ½&

नगर पंचायत देहरा द्वारा पैन्षन रोकड़ बही से सी0बी0आई0 बैंक देहरा में सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेषित राषि पर बैंक द्वारा परिपक्वता मूल्य पर देय ब्याज की तुलना में कम ब्याज दिया है। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :–

Ø0 l0	fuos'k dh frfFk	fuosf'kr jkf'k	C;kt nj	ifjiDork frfFk	ifjiDork jkf'k	izkIr dh xbZ jkf'k	ns; C;kt	izkIr C;kt	vUrj

1	16.03.07	300000	9.5%	16.03.11	436741	417311	136741	117311	19430
2	16.03.07	200000	9.5%	16.03.11	291161	281094	91161	81094	10067
								;ksx	₹29497

उपरोक्त अन्तर के सम्बन्ध में बैंक द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के अनुसार राषि ₹29,497/–की कटौती टी0डी0एस0 के रूप में की गई है तथा ₹29,497/–की राषि को बैंक द्वारा नगर पंचायत देहरा के बचत खाता संख्याः 11293238551 में क्रैडिट दे दिया गया है। लेकिन जाँच के दौरान पाया गया कि बैंक द्वारा दिनांक 20.06.11 तक बचत खाता संख्याः 11293238551 में केवल ₹24,290/–ही क्रैडिट किए गए हैं। अतः कम क्रैडिट दी गई राषि ₹5,207/–(₹29,497 – ₹24,290) की वसूली सम्बन्धित बैंक से की जानी सुनिष्चित की जाए। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 foÙkh; o"kZ 2009&10 o 2010&11 esa izkIr vuqnkuksa esa ₹98-87 yk[k dh jkf'k ds mi;ksfxrk izek.k i= tkjh u djus ckjs %&

जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2009–10 व 2010–11 में विभिन्न स्त्रोतों से (एक करोड़ दो लाख बाईस हज़ार तीन सौ तीन रुपये) के अनुदान नगर पंचायत देहरा में प्राप्त हुए हैं। जिनमें से केवल ₹335000/–के अनुदानों को व्यय करने उपरान्त सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं को उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किए हैं। दिनांक 31.03.11 को 98 लाख 87 हज़ार 303 की राषि के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु शेष हैं। जो स्वतः एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः अनुदान राषि ₹98,87,303/–के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करना सुनिष्चित किया जाएं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 vof/k 01-04-09 ls 31-03-11 rd vuqnkuksa ds :i esa izkIr jkf'k;ksa dks fu/kkZfjr mís';ksa ,oa y{;ksa dh izkfIr gsrq O;; djus dh lR;kiuk u gksuk %&

अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनुदानों से प्राप्त राषि ₹44,67,024/–व गत वर्ष की व्यय न की जा सकी अनुदान राषि ₹24,39,507/– कुल ₹69,06,531/–में से ₹52,41,619 व वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदानों के रूप में व्यय हेतु शेष राषि ₹74,16,365/– में से ₹39,44,734/–निर्धारित उद्देष्यों पर व्यय कर दिए दर्षाए हैं व अनुदानों के रूप में दिनांक 31.03.11 को ₹34,71,631/–व्यय हेतु शेष है लेकिन प्रत्येक वित्तीय वर्ष अर्थात

2009–10 व 2010–11 में प्राप्त प्रत्येक अनुदान राषि का अनुदान रजिस्टर में दर्ज न करना व तदोपरान्त प्राप्त अनुदान राषि को उसी निर्धारित उद्देष्य पर व्यय करने सम्बन्धित अभिलेख अनुदान रजिस्टर में दर्ज न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि सम्भव नहीं हुई है कि निर्धारित एवं उद्देष्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2009–10 व 2010–11 में प्राप्त अनुदान राषियों में से व्यय दर्षाई गए अनुदान राषि ₹91,86,353/–(₹52,41,619 + ₹39,44,734) उन्हीं उद्देष्यों की प्राप्ति हेतु व्यय की गई है जिन उद्देष्यों हेतु उक्त अनुदान राषियां प्राप्त हुई है। अतः वित्तीय वर्ष 2009–10 व 2010–11 में प्रत्येक प्राप्त अनुदान का अनुदान रजिस्टर में क्रमानुसार दिनांक वार व उद्देष्य वार इन्द्राज व उसमें से व्यय की गई राषि का विवरण प्राप्ति माप पुस्तिका संख्या, पेज नम्बर व वाऊचर संख्या व माह इत्यादि का इन्द्राज अनुदान प्राप्ति एवं व्यय रजिस्टर में दर्ज करना सुनिष्चित किया जाए व जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ताकि अनुदानों से किए गए व्यय की सत्यापना सम्भव हो सके। कृत कार्यवाही के आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 vunku jkf'k ₹34-72 yk[k dk fu/kkfjr le;of/k e 0;; u djuk %&

अनुदानों की जाँच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में नगर पंचायत देहरा में निर्धारित उद्देष्यों की प्राप्ति हेतु ₹57,55,279/–विभिन्न अनुदानों के रूप में प्राप्त हुए हैं जिसमें से नगर पंचायत देहरा द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत व्यय हेतु उपलब्ध राषि ₹74,16,365/– में से ₹39,44,734/– ही विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत निर्धारित उद्देष्यों की प्राप्ति हेतु व्यय किए गए। फलस्वरूप विभिन्न ऐजैन्सियों से विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत उपलब्ध अनुदान राषि में से ₹34,71,631/–दिनांक 31.03.11 तक व्यय हेतु शेष है। अनुदान राषि को निर्धारित समयवधि में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यय न करना एक गम्भीर अनियमितता है जोकि नगर पंचायत देहरा की कार्य प्रणाली पर प्रष्न चिन्ह लगाता है। अतः यह प्रकरण निदेषक, शहरी विकास विभाग के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है। दिनांक 31.03.11 को व्यय हेतु शेष बची अनुदान राषि का विवरण निम्नलखित प्रकार से है :–

foÙkh; o"k	vkjfEHkd 'k"k	o"k 2009&10 o 2010&11 d nkjku ikIr vunku jkf'k	dy ;kx	o"k d nkjku 0;; vunku jkf'k	v0;;@0;; gr vunku jkf'k
2009–10	2439507	4467024	6906531	5245445	1661086
2010–11	1661086	5755279	7416365	3944734	3471631

अनुदानों का विवरण परिषिष्ट–''ङ'' पर संलग्न है।

13 x`gdj ds :i esa fnukad 31-03-11 dks ₹10-20 yk[k olwyh gsrq 'ks"k %&

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.11 को गृहकर के रूप में ₹1019711 वसूली हेतु शेष थी। वसूली हेतु अत्याधिक मात्रा में शेष रहना, नगर पंचायत देहरा की गृहकर की वसूली की प्रक्रिया पर प्रष्न चिन्ह लगाता है। अतः अनुरोध किया जाता है कि गृहकर की वसूली की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए ताकि गृहकर की सम्पूर्ण वसूली सम्भव हो सके। इसके अतिरिक्त निदेषक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः यू0एल0बी0—एच(ए)(7)—1/84—9237 से 9284, दिनांक 20.06.2001 के अनुसार करों की शत प्रतिषत की वसूली न करने की अवस्था से सम्बन्धित सचिव को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। हिमाचल प्रदेष म्यूनीसिपल एक्ट 1994 के अनुसार यदि कोई राषि, टैक्स, शुल्क म्यूनिसीपल को देय है व देय तिथि के बाद 15 दिन तक भी यह आय अदत्त रहती है तब सम्बन्धित नगर पंचायत सचिव लिखित रूप में दोषी फर्म, संस्था, व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 उपनियम (2) व (3) का पुनः उल्लेख करता है कि अगर दोषी नोटिस देने के 15 दिन के भीतर भी नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम को भुगतान नहीं करता है तो सम्बन्धित सचिव दोषी फर्म, संस्था, व्यक्ति की चल सम्पति को बेचकर देय राषि सभी खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बधित दोष फर्म, संस्था, व्यक्ति को वारंट जारी करेगा व उसके बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्त्ता को वसूली करने हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है। इसके बावजूद भी नगर पंचायत देहरा के सचिव द्वारा गृहकर की सम्पूर्ण वसूली हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं, जिसके कारण गृहकर के रूप में 31.03.11 को ₹1019711/—वसूलने हेतु शेष थे राषि का पूर्ण विवरण परिष्ट—''ज'' में दिया गया है। अतः पंचायत समयबध तरीके से शेष राषि की वसूली हेतु ठोस कार्यवाही अमल में लाना सुनिष्चित करे तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 x`gdj ekax ,oa ,d=hdj.k jftLVj esa fnukad 31-03-11 dks olwyh gsrq 'ks"k jkf'k dks ₹2]71]283 ls de n'kkZuk %&

अंकेक्षण को प्रदान की गई गृहकर की सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.11 को गृहकर के रूप में ₹10,19,711/—वूसली हेतु शेष थे जबकि गृहकर मांग एवं संग्रह रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत देहरा के सभी 7 वार्डों से गृहकर के रूप में ₹7,48,428/—दिनांक 31.03.11 को वसूली हेतु शेष दर्षाए गए थे। अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना में ₹10,19,711/—वसूली हेतु शेष दर्षाना व गृहकर मांग एवं संग्रह रजिस्टर में ₹7,48,428/—विभिन्न वार्डों से वसूली हेतु दर्षाना आपस में विरोधाभासी हैं गृहकर मांग एवं संग्रह कर्त्ता कर्मचारी द्वारा

स्वेच्छा से गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि ₹2,71,283/—कम दर्शाना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है क्योंकि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा लिखित आदेषों के बिना अपने स्तर पर स्वेच्छा से सरकारी भवनों की गृहकर की शेष राषि को मांग रजिस्टर से हटा दिया बिना लिखित आदेषों के कर्मचारी द्वारा सरकारी भवनों के गृहकर को गृहकर मांग रजिस्टर से हटाना व जिन—जिन सरकारी भवनों के गृहकर की वसूली हेतु शेष राषि को गृहकर रजिस्टर से हटाने की सूची अंकेक्षण को उपलब्ध न करवाना निदेषालय व नगर पंचायत द्वारा सरकारी भवनों के गृहकर को माफ करने की अधिसूचना एवं पारित प्रस्ताव अंकेक्षण में न दर्षाने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा आपसी मिलीभगत द्वारा अपने चहेतों को वांछित लाभ देने के प्रयोजन से गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राषि में से ₹2,71,283/—कम कर दिया है। अतः गृहकर वसूली हेतु शेष राषि ₹10,19,711/—को कम करके ₹7,48,28/—दर्षाने बारे निदेषालय के आदेषों की प्रति व नगर पंचायत देहरा की सभा द्वारा सरकारी भवनों के गृहकर माफ करने हेतु पारित प्रस्ताव, सरकारी भवनों की सूची व सरकारी भवनों से वसूली हेतु शेष राषि जिसे माफ किया गया है, का सरकारी भवन वार विवरण आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया जाए ताकि सरकारी भवनों को प्रदान की जाने वाली गृहकर की छूट को न्यायोचित ठहराया जाए। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। गृहकर मांग एवं संग्रह रजिस्टर के अनुसार दिनांक 31.03.11 को नगर पंचायत देहरा के 7 वार्डों से वसूली हेतु शेष दर्षाई गई राषि का विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः—

Øe la[;k%	okMZ uEcj	olwyh gsrq 'ks"k n'kkbZ xbZ jkf'k
1	1	49150/—
2	2	160954/—
3	3	90910/—
4	4	95150/—
5	5	93750/—
6	6	115800/—
7	7	142714/—
	dqy ;ksx	₹7]48]428@&

15 f}rh; jkT; foÙk vk;ksx dh flQkfj'kksa ds vuqlkj x`gdj dh nj 12½% u djus ds dkj.k xr o"kksZa dh 25% jkf'k;ka izkIr u gksuk%&

शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः नं0—यू0डी0—एच(सी)(10)—7/98—II, दिनांक 05.08.04 के अनुसार द्वितीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिषों के अनुरूप गृहकर की दर वार्षिक मूल्य के आधार पर 7½% से लेकर 12½% के बीच निर्धारित की जानी अपेक्षित थी व वित्तीय वर्ष 2006—07 में 100% अनुदान की राषि प्राप्त करने हेतु वित्तीय वर्ष 2006—07 तक गृहकर की दर 12½% की जानी अनिवार्य थी ताकि 7½% की दर से जिन—जिन वर्षों में गृहकर वसूला गया है

उन वित्तीय वर्षों में अनुदान के रूप में 25% कम अनुदान राषि 2006–07 में प्राप्त की जानी सम्भव हो सके। नगर पंचायत देहरा द्वारा 7 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी निदेषालय, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष की उक्त पत्र में दिए गए स्पष्ट निर्देषों की अनुपालना नहीं की है जिसके फलस्वरूप गत वर्षों में 25% कम प्राप्त हुई अनुदान राषि अभी तक नगर पंचायत देहरा को प्राप्त नहीं हो सकी। 25% अनुदान राषि प्राप्त न होने हेतु नगर पंचायत देहरा स्वयं उत्तरदायी है। अतः सुझाव दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में गृहकर का आंकलन वार्षिक मूल्य के आधार पर निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप 12% की दर से किया जाए व तदोपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि गत वर्षों में अनुदानों के रूप में 25% कम प्राप्त राषि को प्राप्त किया जाना सम्भव हो सके।

16 fu/kkfjr ekin.Mksa ds vuq:i x`gdj dh x.kuk u djds LoSPNkuqlkj x.kuk djuk %&

जाँच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत के अधिकार क्षेत्र में 7 वार्ड हैं। गृहकर की गणना की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा गृहकर की गणना बिना किसी आधार के स्वेच्छानुसार की गई है शहरी विकास विभाग द्वारा गृहकर की गणना हेतु समय–समय पर जारी किए गए निर्देषों की कभी भी अनुपालना नहीं की गई है। गत वर्षों से लेकर दिनांक 31.03.11 तक गृहकर की गणना हेतु कभी भी तकनीकी कर्मचारी अर्थात कनिष्ठ अभियन्ता से नगर पंचायत देहरा के अधिकार क्षेत्र में सम्मलित 7 वार्डों में स्थित घरों, दुकानों, ढ़ाबों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, होटलों, सिनेमा हालों इत्यादि का निर्धारित नियमों के अनुरूप गृहकर निर्धारण नहीं करवाया गया था बिना किसी स्पष्ट आधार के गृहकर का आंकलन किया जाता रहा है। नगर पंचायत कार्यालय में कार्यरत एक क्लर्क द्वारा स्वेच्छा से बिना किसी ठोस आधार के Annual rent at Value की गणना साक्ष्यों के बिना मनचाही दरों पर की जाती है व तदानुसार गृहकर को निर्धारित कर दिया जाता हैं जहां इस गृहकर की गणना की अव्यवहारिक प्रथा के कारण नगर पंचायत को आय के रूप में कई लाखों रुपये की हानि हो रही है। उक्त प्रकरण निदेषक, शहरी विकास विभाग के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही करने हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत देहरा के सचिव से अनुरोध किया जाता है कि वह तुरन्त प्रभाव से गृहकर का आंकलन तकनीकी कर्मचारी से निर्धारित दिषा निर्देषों के अनुसार करवाना सुनिष्चित करें ताकि गृहकर गणना नियमानुसार हो सके।

17 nqdkuksa ds fdjk, ds :i esa fnukad 31-03-11 dks ₹1189904@& olwyh gsrq 'ks"k %&

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.2011 को नगर पंचायत द्वारा दुकानदारों से किराये के रूप में ₹1189904/–वसूली हेतु शेष थे। हिमाचल प्रदेष म्यूनिसीपल एक्ट 1994 के अनुसार यदि कोई राषि, टैक्स, शुल्क म्यूनिसीपल को देय है व देय तिथि के बाद 15 दिन तक भी यह आय अदत रहती है तब सम्बन्धित नगर पंचायत सचिव लिखित रूप में दोषी फर्म, संस्था,

व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258, उपनियम (2) व (3) का पुनः उल्लेख करता है कि अगर दोषी नोटिस देने के 15 दिन के भीतर भी नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम को भुगतान नहीं करता है तब सम्बन्धित सचिव कर देय राषि सभी खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित दोषी फर्म, संस्था, व्यक्ति को वारंट जारी करेगा। उसके बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली करने हेतु प्रेषित करना अपेक्षित हैं अतः पंचायत शेष राषि की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिष्चित करें। वसूली हेतु शेष राषि का विवरण निम्न प्रकार था।

18 fdjk; d fu/kkj.k o vucU/k d fcuk fdjk; ij nuk o fu;ekulkj fdjk; e of) u djuk %&

जाँच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत देहरा द्वारा कुछ एक दुकानों को हिमाचल प्रदेष लोक निर्माण विभाग के द्वारा निर्धारित किराये की दरों के विपरीत वास्तविक किराये के निर्धारण व अनुबन्ध के बगैर अत्याधिक कम दरों पर किराए पर दिया गया था नियमानुसार 10 वर्षों के अन्तराल के बाद किराये में 10 प्रतिषत वृद्धि भी नहीं की हैं जिसके फलस्वरूप नगर पंचायत को प्रतिवर्ष लाखों रुपये की हानि हो रही है। जिसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। तुरन्त प्रभाव से हिमाचल प्रदेष लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रति वर्ग फुट दुकानों के किराये हेतु निर्धारित राषि के हिसाब से उक्त दुकानों के किराये का पुनः निर्धारण किया जाए। तदानुसार सम्बन्धित किराएदारों से किराए हेतु अनुबन्ध किया जाना अपेक्षित है। जिन दुकानदारों को स्वेच्छा से निर्धारित हुए न्यूनतम दरों पर दुकानें गत वर्षों में बिना अनुबन्ध के आबंटित की गई हैं उनका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :–

Øe l[;k	ndku l[;k	fdjk;nkj dk uke	vkcVu dh frfFk	fdjk;k ifr ekl ¼₹½	fVIi.kh
1	4	ए0पी0पी0 देहरा	01.01.1981	47	अनुबन्ध नहीं हुआ है।
2	6	आर0एम0एच0आर0	01.03.1985	559	अनुबन्ध नहीं हुआ है।

		टी0सी0 देहरा			
3	7	हॉर्टीकल्चर विभाग देहरा	01.07.1987	100	अनुबन्ध नहीं हुआ है।
4	9	संजीव सिंह सपुत्र श्री किरपाल सिंह	—	150	कोई अभिलेख मौजूद नहीं।
5	22	स्वान सूद सपुत्र श्री कुलदीप चन्द	—	892	कोई अभिलेख मौजूद नहीं।

इसके अतिरिक्त दुकान नम्बर 8 श्री विजय सिंह सपुत्र श्री नील सिंह को माह 03/84 में ₹100/—प्रतिमाह के किराये पर दी गई थी। उक्त दुकान के किराये में नियमानुसार बढ़ौतरी नहीं की गई है। अतः उक्त दुकान के वास्तविक क्षेत्रफल का आंकलन करने उपरान्त हिमाचल प्रदेष लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित प्रति वर्ग फुट की दर से किराये का पुनः निर्धारित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 iêk ifrHkwfr jkf'k dk fdjk; vuqcU/k djus mijkUr lfpo }kjk viuk Lrj ij dkV&NkV dj de djus d dkj.k uxj iapk;r dk gbZ foÙkh; gkfu jkf'k ₹173600@& %&

जाँच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2001 व 2002 में बस अड्डा पर निर्मित दुकान संख्याः 3,4,5,6,7,8,9 खुली बोली द्वारा किराये पर दी गई हैं व खुली बोली की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित किरायेदारों से पट्टा एवं प्रतिभूति राषि वसूली गई थी जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :—

Ø0 l0	nqdku l0	fdjk;snkj dk uke ,o irk	vuqcU/k dh frfFk	fdjk;k ifr ekl	vuqcU/k dh 'krZ d vuqlkj olwyh ;kX; iêk ,o ifrHkwfr jkf'k	olwyh xbZ okLrfod iêk ,o ifrHkwfr jkf'k
1	3	अमोद दत्त	16.08.01	1700	102000	102000
2	4	महेन्द्र सिंह सपुत्र श्री राम लाल, देहरा	01.01.2002	1500	25000	25000
3	5	योग राज सपुत्र श्री	16.08.01	1850	111000	111000

		जगत राम अरलू, त0 बंगाणा, जिला ऊना				
4	6	मदन लाल सपुत्र श्री हरि चन्द खबली, देहरा	02.04.02	1550	93000	93000
5	7	संजय कुमार सपुत्र श्री ब्रह्म दत्त नरेटी, देहरा	22.02.02	1560	93600	50000
6	8	देषवीर शर्मा	16.08.01	1550	93000	93000
7	9	विजय कुमार सपुत्र श्री हरि चन्द	03.11.2000	1000	60000	50000
				dqy ;ksx	₹697600	₹524000

उपरोक्त दुकान संख्याः 3,4,5,6,7,8,9 के किरायेदारों से अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप 5 वर्षों के किराए के बराबर पट्टा एवं प्रतिभूति राषि वसूली जानी अपेक्षित थी, लेकिन दुकान संख्याः 7 व 9 के किरायेदार संजय कुमार व विजय कुमार से किराए के अनुबन्ध करने उपरान्त तत्कालीन सचिव द्वारा अनुबन्ध में पट्टा एवं प्रतिभूति राषि की शर्त में अपने पैन द्वारा कांट–छांट करने के उपरान्त श्री विजय कुमार किरायेदार का पट्टा एवं प्रतिभूति राषि ₹180000/–की जगह ₹50000/–कर दी गई। श्री संजय कुमार की ₹93600/–की जगह ₹50000/–कर दी गई अनुबन्ध की शर्तों की कांट छांट के कारण नगर पंचायत देहरा को राषि ₹173600/–(₹180000–₹50000 + ₹93600–50000) की वित्तीय हानि हुई है। अनुबन्ध करने के उपरान्त इस प्रकार की कांट छांट करना एक गम्भीर मामला है। अतः यह मामला निदेषक, शहरी विकास के ध्यान में उचित जाँच एवं कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

20 iêk izfrHkwfr jkf'k dks :i esa olwyh xbZ ₹5]24]000@&dh jkf'k esa ls ₹4]53]700@&dk ns; fdjk;s ds fo:) vfu;fer ,oa xyr :i ls lek;ksftr djuk%&

उपरोक्त पैरा संख्याः–19 में उल्लेखित वसूली गई पट्टा प्रतिभूति राषि ₹5,24,000/–अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार किराय अनुबन्ध को 25 वर्षों की अवधि समाप्त होने या किरायेदारों द्वारा दुकानें खाली करने की अवस्था एक माह के अग्रिम नोटिस के पश्चात वापिस की जानी अपेक्षित थी। जबकि दुकान किराये वसूली हेतु नियुक्त कर्मचारी द्वारा सचिव के लिखित आदेषों के बगैर अपने स्तर पर उक्त किराएदारों से किराए के रूप में वसूली हेतु शेष राषि में से उक्त पट्टा प्रतिभूति राषि को वित्तीय वर्ष 2010–11 में नियमों के विपरीत समायोजित किया गया। जो कि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित दुकान

किराया संग्रह कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए इसके अतिरिक्त अनियमित तरीके से किराये के रूप में वसूली हेतु शेष राषि में उक्त समायोजित की गई पट्टा प्रतिभूति राषि को जमा करने के उपरान्त बढ़ी हुई राषि की मांग शेष राषि के रूप में सम्बन्धित किरायेदारों से की जाए। उक्त कर्मचारी की उक्त उल्लेखित अनैतिक कार्य प्रणाली की वजह से नगर पंचायत देहरा को अवधि 01.04.09 से 01.04.11 के बीच उक्त दुकानदारों से किराये के रूप में वसूली नगण्य हैं जिस हेतु उक्त कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। किराए के विरूद्ध अनियमित रूप से समायोजित की गई पट्टा प्रतिभूति राषि का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रम संख्या	दुकान संख्या	दुकानदार का नाम	किराए के विरूद्ध समायोजित की गई पट्टा एवं प्रतिभूति राशि (₹)
1	3	अमोद दत्त	92000 ⁄ –
2	4	महेन्द्र सिंह	15000 ⁄ –
3	5	योग राज	101000 ⁄ –
4	6	मदन लाल	83000 ⁄ –
5	7	संजय कुमार	79700 ⁄ –
6	8	देष वीर	83000 ⁄ –
		कुल योग	₹453700/-

21 आरोग्य मैडिकोज की दुकान के ऊपर बने हॉल का किराया निर्धारण न करके उक्त दुकानदार को प्रदान किए जा रहे अप्रत्याशित लाभ बारे :-

नगर पंचायत देहरा के प्रस्ताव संख्याः 62, दिनांक 08.07.09 द्वारा हस्पताल के नजदीक आरोग्य मैडिकोज़ की दुकान के ऊपर हॉल बनाने की अनुमति अपने खर्चे पर श्री सुरेन्द्र कुमार सूद, पुत्र श्री परमेष्वरी दास को इस शर्त पर प्रदान की गई कि वह नगर पंचायत द्वारा उसे पूर्व में आबंटित दुकान जिसका उसने नाम आरोग्य मैडिकोज़ रखा है के ऊपर नगर पंचायत कनिष्ठ अभियन्ता की देख–रेख में अपने खर्चे पर हॉल का निर्माण करवाने हेतु अधिकृत है। निर्माण से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख जैसे कि माप प्रविष्टियाँ एवं खर्चे का पूर्ण विवरण कनिष्ठ अभियन्ता अपनी माप पुस्तिका में दर्ज करेगा व सम्पूर्ण व्यय⁄वास्तविक लागत से नगर पंचायत को अवगत करवायेगा व तदोपरान्त तैयार करने की तिथि से दुकान के किराए का निर्धारण करने उपरान्त दुकान का किराया दुकानदार द्वारा किए गए स्वयं सम्पूर्ण व्यय में समायोजित किया जाता रहेगा। सचिव नगर पंचायत द्वारा दिंनाक 20.05.10 से पूर्व किए गए निरीक्षण के अनुसार उक्त हॉल दिनांक 20.05.10 से पूर्व ही बनकर तैयार हो गया है। लेकिन 1½ वर्ष बीत जाने के बावजूद भी

नगर पंचायत द्वारा उक्त हॉल का किराया हिमाचल प्रदेष लोक निर्माण विभाग की दरों के अनुसार निर्धारण करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की है व दुकान दार श्री सुरेन्द्र कुमार को अनाधिकृत तौर पर दुकान किराए का लाभ देने के प्रयोजन से ऐसा किया गया प्रतीत होता है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जब हॉल दिनांक 20.05.10 से पूर्व तैयार हो गया था तब कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वाहन न करके 1½ वर्ष बाद भी वास्तविक व्यय का निर्धारण न करना एवं नगर पंचायत द्वारा किराया निर्धारित न करवाना एक गम्भीर मामला है। अतः उक्त हॉल के निर्माण पर आई वास्तविक लागत का निर्धारण करने के उपरान्त हिमाचल प्रदेष लोक निर्माण विभाग की दरों के अनुसार किराए का निर्धारण करके माह 05/2010 से प्रतिमासिक निर्धारित किराए को वास्तविक लागत के विरूद्ध समायोजित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 ¼ii½ mie.My lekgÙkk ngjk] ftyk dkxMk d fu.k; d ckotn fdjk;nkjk }kjk fdjk; dh 'k"k jkf'k tek u djokuk o ndkuk dk [kkyh u dju ckj ¼&

नगर पंचायत देहरा द्वारा बस स्टैण्ड पर निर्मित दुकान संख्याः 3,5,9,10 व 12 के किरायेदारों द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप समय अनुसार दुकान किराया भुगतान न करने के कारण किराये के रूप में वसूली हेतु शेष राषि को वसूलने व दुकान खाली करवाने हेतु उपमण्डल समाहर्त्ता देहरा के न्यायालय में मुकदमे दायर किए गए थे व इन केसों का उपमण्डल समाहर्त्ता देहरा द्वारा निर्णय दे दिया गया है। जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :–

Øe l[;k	ndku l[;k	fdjk,nkj dk uke	dl uEcj	fu.k; dh frfFk	fu.k; dk lf{kIr fooj.k
1	12	रजिन्द्र सिंह	47/2002	16.10.08	₹64987 एक माह के अन्दर नगर पंचायत को भुगतान करेगा व एक माह के अन्दर दुकान खाली करेगा व ऐसा न करने की अवस्था में दुकान बलपूर्वक खाली करवाई जाएगी व शेष राषि भूमि एवं राजस्व के तहत वसूली जाएगी।
2	5	योगराज	01/2004	20.10.08	₹145085 एक माह के अन्दर नगर पंचायत को भुगतान करेगा व एक माह के अन्दर दुकार खाली करेगा व ऐसा न करने की अवस्था में दुकान बलपूर्वक खाली करवाई जाएगी व शेष राषि भूमि एवं राजस्व के तहत वसूली जाएगी।
3	9	विक्रम सिंह	03/2004	05.06.10	शेष राषि ₹46500, ₹3000 प्रति माह की दर से नगर पंचायत को भुगतान करेगा व ऐसा न करने की अवस्था में दुकान खाली करवा ली जाएगी।
4	3	अमोद दत्त	05/2004	05.06.10	शेष राषि ₹15000/–, 5 बराबर किस्तों में नगर पंचायत को भुगतान

					करेगा व अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से आगे किराये का भुगतान करेगा।
5	10	अवतार सिंह	18/2004	05.06.10	शेष राषि ₹60700/–, ₹3000/–प्रतिमाह की दर से नगर पंचायत को भुगतान करेगा व अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से आगे किराये का भुगतान करेगा।

उपरोक्त उल्लेखित दुकान संख्याः 12 व 5 के किरायेदारों द्वारा उपमण्डल समाहर्ता देहरा के निर्णय अनुसार न तो वसूली हेतु शेष राषि क्रमषः ₹64,987/–व ₹1,45,085/–अब तक 31. 03.11 तक नगर पंचायत देहरा में जमा करवाई है व न ही दुकानों को खाली किया है जो कि उपमण्डल समाहर्ता देहरा के निर्णय की गम्भीर अवहेलना है व इसके अतिरिक्त उक्त किराएदारों द्वारा दुकानों का किराया भी नियमित रूप से नहीं दिया जा रहा है।

¼ii½ उपरोक्त उल्लेखित दुकान संख्याः 9,3,10 के किराएदारों द्वारा भी उपमण्डल समाहर्ता देहरा के निर्णय अनुसार शेष राषि वसूली हेतु निर्धारित किस्त के अनुरूप राषि नगर पंचायत देहरा में अब तक जमा नहीं करवाई है व न ही प्रतिमाह दुकान का किराया नियमित रूप से नगर पंचायत देहरा को दिया जा रहा है जो कि उपमण्डल समाहर्ता देहरा के निग्रय की गम्भीर अवहेलना है।

नगर पंचायत देहरा द्वारा उपमण्डल समाहर्ता देहरा के न्यायालय के निर्णय की किराएदारों द्वारा पूर्ण रूप से अवमानना करने के बावजूद उनके विरूद्ध कोई भी प्रभावी कार्यवाही अमल में नहीं लाई है जो कि नगर पंचायत देहरा की कार्य प्रणाली को सन्देह के घेरे में लाती है। अतः उपमण्डल समाहर्ता के निग्रय के अनुसार सम्बन्धित किराएदारों के विरूद्ध निर्णय अनुसार किराए की वसूली हेतु शेष राषि को वसूलने हेतु जिला समाहर्ता एवं भूमि एंव राजस्व के समक्ष तुरन्त अपील दायर की जानी सुनिष्चित की जाए ताकि किराए के रूप में अप–टू–डेट शेष राषि जिला समाहर्ता एवं भूमि एवं राजस्व के माध्यम से वसूली जानी सम्भव हो सके व उपमण्डल समाहर्ता देहरा के निर्णय अनुसार उक्त सभी दुकानदारों से बलपूर्वक दुकानें खाली करवा कर निर्धारित औपचारिक्ताएं पूर्ण करने उपरान्त उपरोक्त सभी दुकानों को खुली बोली द्वारा आरक्षित मूल्य निर्धारित करने उपरान्त पुनः किराए पर दिया जाना सुनिष्चित किया जाए। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 cl vìk o ikfdZx dk Bsdk foÙkh; o"kZ 2009&10 ds fy, ₹22]86]800@&o 2010&11 esa ₹21]50]100@&ds fy, uhyke djus ds dkj.k ₹1]36]700@&dh foÙkh; gkfu %&

जाँच के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2009—10 में बस अड्डा व पार्किंग का ठेका श्री नरेष कुमार चौहान निवासी देहरा को ₹22,86,800/—में नीलाम किया गया वित्तीय वर्ष 2010—11 में उक्त बस अड्डा एवं पार्किंग का ठेका ₹21,50,00/—में श्री जनक गुलेरिया को दिया नियमों के अनुसार गत वर्ष अर्थात 2009—10 में उक्त ठेके से प्राप्त राषि ₹22,86,800/—को आधार/आरक्षित मूल्य बनाकर आरक्षित एवं आधार मुल्य से उचच मूल्यों/दरों पर ठेका दिया जाना अपेक्षित है। नगर पंचायत द्वारा उक्त ठेके से गत वर्षों में प्राप्त आय को नजरअन्दाज करके वित्तीय वर्ष 2010—11 में उक्त ठेका देने हेतु आरक्षित मूल्य ₹21,00,000/—रखा गया व ₹21,50,100/—में उक्त ठेका खुली बोली नीलाम कर दिया गया है। जो कि एक गम्भीर अनियमितता होने के साथ वित्तीय नियमों की अवहेलना है जिसके फलस्वरूप नगर पंचायत देहरा वित्तीय वर्ष 2010—11 में ₹1,36,700/—की वित्तीय हानि हुई है। अतः वित्तीय हानि का उत्तरदायित्व निर्धारण करने के उपरान्त उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

24 Hkkjr lapkj fuxe fyfeVsM ls ₹17-01 yk[k dh olwyh 'ks"k %&

नगर पंचायत देहरा की सीमा के अन्तर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा भूमिगत केवल तार बिछाने के कारण नगर पंचायत की सड़कों में खुदाई की गई थी जिसके कारण नगर पंचायत देहरा द्वारा निर्मित सड़कों को क्षति हुई। नगर पंचायत देहरा द्वारा क्षतिपूत्रि राषि के रूप में ₹19,51,400/—का अनुमान भारत संचार निगम लिमिटेड देहरा को पत्र संख्याः एन0पी0डी0/2009—सड़क क्षति—502, दिनांक 19.09.2009 द्वारा भेजा गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा अभी तक ₹2,50,000/—नगर पंचायत देहरा के कार्यालय में जमा करवाए हैं। नगर पंचायत देहरा द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड देहरा से अभी तक ₹17,01,400/—वसूली हेतु शेष है। भारत संचार निगम लिमिटेड कार्यालय देहरा से उक्त वास्तविक राषि नगर पंचायत देहरा में तुरन्त जमा करवाने हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 **राशि ₹1,08,260/–व्यवसायिक कर की राशि को वित्तीय वर्ष 2010–11 के आरम्भिक शेष में न उठाना :–**

व्यवसायिक कर रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में विभिन्न व्यापारियों द्वारा शेष बचे देय कर के अन्तिम शेष को वित्तीय वर्ष 2010–11 के आरम्भिक शेष में नहीं उठाया गया है। जिसका विवरण परिषिष्ट–''च'' पर संलग्न है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में विभिन्न दुकानदारों से वसूली हेतु शेष व्यवसायिक कर की राषि को वित्तीय वर्ष 2010–11 के आरम्भिक शेष में न उठाकर सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उपरोक्त उल्लेखित दुकानदारों को अनैतिक लाभ पहुंचाने की मंषा को उजागर करता है। अंकेक्षण द्वारा उक्त वित्तीय अनियमितता को उजागर करने के उपरान्त अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना में व्यवसायिक कर की राषि को वित्तीय वर्ष 2010–11 के आरम्भिक शेष में संषोधित करवा दिया गया है। लेकिन व्यवसायिक कर के रजिस्टर में प्रत्येक दुकानदार जिससे वित्तीय वर्ष 2009–10 में व्यवसायिक कर की राषि वसूलने हेतु शेष थी वित्तीय वर्ष 2010–11 में उक्त दुकानदारों से व्यवसायिक कर के रूप में वसूली हेतु शेष राषि को आरम्भिक शेष व अन्तिम शेष के रूप में दर्षाना शेष है। अतः व्यवसायिक कर के रजिस्टर में वित्तीय वर्ष 2010–11 के अन्तिम शेष के रूप में वसूली हेतु शेष राषि को आरम्भिक शेष व अन्तिम शेष के रूप में दर्षाना शेष है। अतः व्यवसायिक कर के रजिस्टर में वित्तीय वर्ष 2010–11 के अन्तिम शेष के रूप में वसूली हेतु शेष व्यवसायिक कर का इन्द्राज किया जाना सुनिष्चित किया जाए व उक्त अनियमितता हेतु उत्तरदायी कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए। अगर अंकेक्षण द्वारा उक्त गम्भीर प्रकरण को उजागर न किया होता तो उक्त कर्मचारी दुकानदारों को ₹1,08,260/–का अनैतिक लाभ देने में कामयाब हो जाता। अतः इस प्रकरण में वांछित कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

26 **व्यवसायिक कर के रूप में ₹13400 की वित्तीय हानि बारे :–**

व्यवसायिक कर रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2009–10 तक नगर पंचायत देहरा के पास 367 दुकानें पंजीकृत थी। 367 दुकानों की वयवसायिक कर की राषि ₹100/–प्रति दुकानदार वार्षिक की दर से ₹36,700 बनती है, लेकिन व्यवसाय कर मांग रजिस्टर में ₹36700/–की जगह ₹34600/–व्यवसायिक कर की मांग दर्षाई गई है। इसी तरह 2010–11 में ₹36700/–की जगह ₹25400/–की मांग दर्षाई गई है। फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2009–10 में ₹36700–₹34600 = ₹2100 व 2010–11 में ₹36700–₹25400=₹11300 कुल ₹13400 की व्यवसायिक कर की पंजीकृत दुकानदारों से न तो मांग की गई व न ही वसूली सम्भव हुई हैं व्यवसायिक कर संग्रह करने हेतु नियुक्त कर्मचारी द्वारा बिना किसी कारण वित्तीय वर्ष 2010–11 में

367 दुकानदारों की जगह 260 दुकानदार पंजीकृत दर्षाना स्वयं एक गम्भीर अनियमितता है जिसके फलस्वरूप नगर पंचायत देहरा को वित्तीय वर्ष 2009–10 व 2010–11 में ₹13,400/–की वित्तीय हानि हुई है। अतः उक्त राषि सम्बन्धित दुकानदारों अथवा उक्त कर्मचारी से वसूली जानी अपेक्षित है।

27 'kgjh fodkl foHkkx] fgekpy izns'k }kjk fofHkUu Jsf.k;ksa ds vUrxZr fu/kkZfjr djksa dh olwyh u djuk %&

हिमाचल प्रदेष शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः एल0एस0जी0–डी0(1)9/94, दिनांक 08.11.99 द्वारा नगर पंचायत निम्नलिखित कर वसूलने हेतु अधिकृत की गई है।

Øe la[;k	Js.kh	dj dh vf/kdre lhek
1	शो टैक्स	₹50/–प्रति शौ
2	कुत्तों पर कर	₹50/–वार्षिक प्रति कुत्ता
3	विज्ञापन कर	₹300/–प्रति वर्ग मी0 प्रति वर्ष
4	डयूटी ऑन ट्रान्सफर ऑफ अचल सम्पति	2%/–राषि का

जाँच के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2009–10 व 2010–11 में नगर पंचायत देहरा में उपरोक्त उल्लेखित करों में से एक भी कर नगर पंचायत में अधिरोपित नहीं किया हैं जिसके कारण नगर पंचायत को अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय में लाखों रुपये की कम वसूली हुई है। नगर पंचायत देहरा की अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय को बढ़ाने हेतु सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त उल्लेखित सभी करों को सभा से पारित करने के उपरान्त लागू करें ताकि नगर पंचायत देहरा की अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके।

28 LFkkiuk tkap jftLVj rS;kj u djuk %&

जाँच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत देहरा द्वारा स्थापना जाँच रजिस्टर को तैयार नहीं किया है। जिसके अभाव में गत वर्षों में विभिन्न कर्मचारियेां को वेतन के रूप में भुगतान की जा रही राषियों की सत्यापना सम्भव नहीं हो सकी। स्थापना जाँच रजिस्टर तैयार न करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसके अभाव मे गत वर्षों में प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक माह किए गए वेतन भुगतान की जाँच सम्भव नहीं है। अतः स्थापना जाँच रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि 01.04.09 से 31.03.11 तक का प्रत्येक कर्मचारी का स्थापना जाँच रजिस्टर तैयार किया जाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण

को अवगत करवाया जाए। यहां यह भी उल्लेखित करना उचित रहेगा कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 5(क) पर भी उक्त गम्भीर आपत्ति उठाई गई है लेकिन नगर पंचायत द्वारा 2 वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः पंचायत उक्त अभिलेख को अविलम्ब तैयार करवाना सुनिष्चित करें

29 Jh peu yky] lfpo dk vkoklh; ekckby Qku fcy@HkÙk dh ifrifrl d: :i e: ₹2]800@&dk xyr ,o vf/kd Hkxrku %&

निदेषक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेष के पत्र संख्याः नं0 यू0डी0एच0(सी)–7–19/97–II, दिनांक 15.09.07 के अनुसार सचिव/कार्यकारी अधिकारी को ₹400/–द्विमासिक आवासीय मोबाईल फोन प्रतिपूर्ति भत्ते के आदेष हुए हैं जिसकी अनुपालना में सचिव नगर पंचायत देहरा द्वारा माह 02/2010 से 03/11 तक 14 माह ₹400/–प्रति मासिक की दर से आवासीय मोबाईल फोन प्रतिपूर्ति भत्ते के रूप में ₹5,600/–प्राप्त की गई है। उक्त पत्र के अनुसार ₹400/–की राषि द्विमासिक (Biomonthly) आधार पर निर्धारित की गई है न कि मासिक आधार पर निर्धारित है। अतः द्विमासिक की जगह प्रति माह की दर से ₹400/–आवासीय मोबाईल फोन प्रतिपूर्ति भत्ता लेने के कारण श्री चमन लाल, सचिव को अवधि 02/2010 से 03/2011 तक के दौरान ₹200/–प्रति माह की दर से 14 माह हेतु ₹2,800/–का गलत एवं अधिक भुगतान हुआ है। जिसकी वसूली सम्बन्धित अधिकारी से की जानी सुनिष्चित की जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

30 fuf’pr fpfdRlk HkÙk d: :i e: ₹5]900@&dk xyr Hkxrku %&

जाँच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत देहरा में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारियों को निर्धारित चिकित्सा भते के रूप में ₹100/–प्रति माह की दर से भुगतान किया गया है। जबकि इन कर्मचारियों द्वारा नियुक्ति की तिथि से स्थाई चिकित्सा भत्ता लेने का कोई विकल्प नहीं दिया है। अतः प्रत्येक कर्मचारी के नाम के आगे दर्षाई गई स्थाई चिकित्सा भत्ते की राषि अनियमित एवं अनुचित भुगतान है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए कि किन कारणों से विकल्प के बगैर अनियमित रूप से स्थाई चिकित्सा भत्ते का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त अनियमित रूप से भुगतान किए गए स्थाई चिकित्सा भत्ते की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियें से की जानी अपेक्षित है।

Øekad	deZpkjh dk uke	Hkqxrku izfr ekg ¼₹½	dqy Hkqxrku ¼₹½	fu;qfDr dh frfFk	Hkqxrku dh vof/k
1	कुल भूषण	100	1000	01.01.98	11/09 से 08/10
2	राज कुमार–1	100	1400	16.04.94	11/09 से 03/10 व 07/10 से 03/11
3	स्वर्णा देवी	100	1000	01.01.98	10/09 से 07/10
4	राज कुमार–2	100	1700	01.04.99	11/09 से 03/11
5	शक्ति चन्द	100	800	01.01.98	08/10 से 03/11
		dqy ;ksx	₹5900@&		

31 uxj iapk;r nsgjk esa dk;Zjr nEifr deZpkfj;ksa dks edku fdjk, HkÙks ds :i esa ₹1]275@&o LFkkbZ fpfdRlk HkÙks ds :i esa ₹3]600@&dqy ₹4]875@&dk xyr Hkqxrku %&

जाँच के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत देहरा में कार्यरत निम्नलिखित दम्पति कर्मचारियों (पति व पत्नी) को मकान किराए भत्ते व स्थाई चिकित्सा भत्ते के रूप में गलत एवं अनियमित भुगतान हुआ है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है। नियमानुसार पति व पत्नी दोनों कार्यरत होने की अवस्था में दोनों में से किसी एक को मकान किराए भत्ते व स्थाई चिकित्सा भत्ते का भुगतान किया जाना अनिवार्य था। लेकिन नगर पंचायत द्वारा नगर पंचायत देहरा में कार्यरत दम्पति कर्मचारियों अर्थात पति व पत्नी दोनों को मकान किराए भत्ते व स्थाई चिकित्सा भत्ते का भुगतान किया गया है जो कि अनियमित एवं गलत है। अतः सम्पूर्ण राषि पति व पत्नी दोनों में से एक से वसूली जानी अपेक्षित है।

¼1½ LFkkbZ fpfdRlk HkÙkk %&

Øekad	nEifr dk uke	LFkkbZ fpfdRlk HkÙks dh nj	vof/k	dqy ekg	olwyh ;ksX; jkf'k ¼₹½
1	श्री राज सिंह व श्रीमति विमला देवी	₹100/– प्रति माह	08/09 से 07/10	12	1200
2	श्री विजय कुमार व श्रीमति शारदा देवी	₹100/– प्रति माह	08/09 से 07/10	12	1200
3	श्री राकेष कुमार व	₹100/– प्रति माह	08/09 से	12	1200

श्रीमति ऊषा देवी	07／10		
		dqy ;ksx	₹3]600@&

¼2½ edku fdjk;k HkÙkk %&

Øekad	nEifr dk uke	edku HkÙkk dh nj	vof/k	dy ekg	olyh ;kX; jkf'k ¼₹½
1	श्री राज सिंह व श्रीमति विमला देवी	₹150/– प्रति माह	12/09 से 01/10 व 03/10	3	450
2	श्री विजय कुमार व श्रीमति शारदा देवी	₹150/– प्रति माह	12/09 से 01/10 व 03/10	3	450
3	श्री राकेष कुमार व श्रीमति ऊषा देवी	₹125/– प्रति माह	12/09 से 01/10 व 03/10	3	375
				dy ;kx	₹1]275@&

dy ;kx ¼1½ o ¼2½ ¼3]600$1275½ ¾ ₹4]875@&

32 foÙkh; o"k 2009&10 o 2010&11 e: mifLFkfr jftLVj d: dkye [kkyh j[kuk %&

वित्तीय वर्ष 2009–10 व 2010–11 के हाजरी रजिस्टरों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों के प्रत्येक के आगे दर्षाई गई दिनांकों के कॉलम खाली रखे गए हैं। जिनमें न तो कोई उपस्थिति तथा न ही अनुपस्थिति दर्ज है। इसके अतिरिक्त उक्त दिनांकों का सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा कोई भी अवकाष स्वीकृत नहीं करवाया है। अतः उपस्थिति रजिस्टर में बिना किसी स्वीकृत अवकाष के कॉलम खाली रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व प्रत्येक कर्मचारी को उक्त बिना अवकाष स्वीकृत करवाए स्वेच्छा से डयूटी से अनुपस्थित रहने के बावजूद भी दिए गए वेतन की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी अपेक्षित है। वैकल्पिक तौर पर सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में उक्त दिनों में अनुपस्थित रहने के कारण अर्जित अवकाष के खाते में डैबिट प्रविष्टि भी की जा सकती है। जिन–जिन कर्मचारियों के हाजरी रजिस्टरों में विभिन्न दिनांकों को स्तम्भ (कॉलम) खाली पाए गए हैं उनका विवरण वित्तीय वर्ष बार निम्नलिखित प्रकार से है :–

foÙkh; o"k 2009&10 o 2010&11

Øe l[;k	depkjh dk uke	in	fooj.k	dy fnu

1	श्री राकेष कुमार	बेलदार	03.02.10 बाद दोपहर	½ दिन
2	श्री सुखदेव	बेलदार	27.08.09, 28.08.09, 16.01.10, 03.04.10 बाद दोपहर, 10.04.10, 08.05.10, 27.11.10, 01.01.11	7½ दिन
3	श्री मनोहर लाल	बेलदार	23.09.09, 24.09.09, 05.11.09, 02.04.10, 03.04.10, 10.04.10, 28.04.10 बाद दोपहर, 08.05.10, 15.06.10, 17.06.10, 09.07.10, 27.11.10 व 01.01.11	12½ दिन
4	श्री ज्ञान चन्द	बेलदार	11.09.09, 02.01.10, 08.01.10 बाद दोपहर, 10.04.10, 08.05.10, 25.09.10, 13.10.10, 14.10.10, 27.10.10, 20.11.10, 27.11.10, 02.12.10, 03.12.10, 18.12.10, 01.01.11, 20.01.11 से 31.01.11 तक	26½ दिन
5	श्री कुलदीप चन्द	मिस्त्री	22.09.09, 23.02.10 बाद दोपहर, 12.03.10 बाद दोपहर, 09.11.09 से 13.11.09 तक, 24.01.11	8 दिन
6	श्री राज कुमार	चपड़ासी	25.11.09, 27.01.10, 10.04.10, 08.05.10, 03.06.10 से 30.06.10, 01.07.10 से 31.07.10, 01.08.10 से 31.08.10, 01.09.10 से 20.09.10 तक	114 दिन
7	श्री करतार चन्द	बेलदार	13.11.09, 12.01.10, 08.01.10, 12.03.10 बाद दोपहर, 10.04.10, 24.04.10 बाद दोपहर, 08.05.10, 05.06.10 बाद दोपहर, 10.06.10, 18.06.10, 12.11.10, 02.12.10, 03.12.10, 1.01.11, 31.01.11	13½ दिन

33 Jh vke izdk'k] lQkbZ deZpkjh dh lsok iaftdk esa 88½ fnu dk LoPNkuqlkj 0;rhr vlk/kkj.k vodk'k cxSj fpfdRlk izek.k i= dh izfof"V u djuk %&

श्री ओम प्रकाष सफाई कर्मचारी की सेवा पंजिका की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी ने बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के असाधारण अवकाष व्यतीत किया है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :–

Øe la[;k	o"kZ	vlk/kkj.k vodk'k dh vof/k	dqy fnu
1	2003 से पूर्व	–	20 दिन
2	2003	02.07.03 से 15.07.03	19 दिन
		23.12.03 से 27.12.03	
3	2004	14.06.04 से 25.06.04	44 दिन
		26.06.04 से 30.06.04	
		03.08.04 से 14.08.04	
		15.11.04 से 23.11.04	
		21.12.04 से 23.12.04	
		29.12..04 से 31.12.04	
4	2005	18.03.05	49 दिन
		04.04.05 से 15.04.05	
		28.04.05 से 30.04.05	
		05.06.05 से 07.06.05	
		11.08.05 से 11.09.05	
5	2006	11.02.06 से 27.03.06	45 दिन
6	2008	01.05.08 से 11.05.08	56 दिन
		26.05.08 से 31.05.08	
		01.06.08 से 08.06.08	
		01.08.08 से 31.08.08	
7	2009	26.04.09 से 10.05.09	75 दिन
		11.05.09 से 25.05.09	
		27.07.09 से 19.08.09	
		19.10.09 से 31.10.09	
		01.11.09 से 08.11.09	
8	2010	03.02.10 से 06.02.10	4 दिन
		dqy ;ksx	312 fnu

उक्त असाधारण अवकाष चिकित्सा प्रमाण पत्र के बगैर सेवा पंजिका में निम्नलिखित अवधि को छोड़कर दर्ज हैं जिस अवधि के असाधारण अवकाष की प्रविष्टि सेवा पंजिका में दर्ज नहीं है उस अवधि का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :–

Øe la[;k	vof/k	dqy fnu
1	14.06.04 से 25.06.04	12 दिन
2	28.04.05 से 30.04.05	2½ दिन
3	26.04.09 से 30.04.09	15 दिन
4	27.07.09 से 19.08.09	24 दिन
5	19.10.09 से 31.10.09	13 दिन
6	01.11.09 से 08.11.09	8 दिन
7	03.02.10 से 06.02.10	4 दिन
	dqy ;ksx	88½ fnu

अतः उक्त कर्मचारी की सेवा पंजिका में उक्त असाधारण अवकाष चिकित्सा प्रमाण पत्र के बगैर व्यतीत करने की प्रविष्टि न करने का कारण स्पष्ट किया जाए व अविलम्ब उक्त दिनों की प्रविष्टियाँ सेवा पंजिका मे दर्ज की जानी सुनिष्चित की जाए।

34 Jh vkse iznhi lQkbZ deZpkjh dh okf"kZd osru o`f) ;k xyr rjhds ls yxkuk o ewy osru dk xyr fu/kkZj.k djuk %&

उक्त कर्मचारी द्वारा उपरोक्त उल्लेखित 312 दिन का असाधारण अवकाष व्यतीत करने के कारण उक्त कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि उपरान्त मूल वेतन का निर्धारण गलत तरीके से किया गया है। बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के असाधारण अवकाष व्यतीत करने के कारण उक्त कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि उतने दिन बाद लगाई जानी अपेक्षित है जितने दिन पिछले वर्ष में उसने असाधारण अवकाष बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के व्यतीत किया है। अतः उक्त कर्मचारी की सेवा पंजिका में 312 दिन की असाधारण अवकाष (बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र) की प्रविष्टि की जानी सुनिष्चित की जाए। उक्त कर्मचारी का नगर पंचायत देहरा द्वारा किया गया गलत वेतन निधारण व वास्तविक सही वेतन निर्धारण का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

(1) पूर्व में वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि = 1 मार्च

(2) 01.03.02 को मूल वेतन = ₹3900/–

osru o`f) dh okLrfod frfFk	osru	
01.03.2002	₹3900/–	
21.03.2003	₹4020/–	(E.O.L 20 days,)
20.03.2004	₹4140/–	(E.O.L 19 days,)

14.04.2005	₹4260/–	(E.O.L 44 days,)
20.05.2006	₹4400/–	(E.O.L 49 days,)
15.06.2007	₹4550/–	(E.O.L 45 days, the extended.)
01.06.2008	₹4700/–	
27.07.2009	₹4850/–	(E.O.L 56 days,)
14.09.2010	₹5000/–	(E.O.L 75 days, with DNI 01-09-11 if otherwise due)

अतः कर्मचारी को अधिक भुगतान किए गए वेतन व भत्तों की गणना पंचायत अपने स्तर पर करने के उपरान्त वसूली करना सुनिष्चित करें।

35 Jh vkse izdk'k lQkbZ deZpkjh dk osru ,oa HkÙkk ds :i esa ₹26028@&dk xyr ,oa vf/kd Hkqxrku %&

जाँच के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2009–10 व 2010–11 में बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के व्यतीत किए गए असाधारण अवकाष के वेतन की कटौती न करने के कारण निम्नलिखित मासों में उक्त कर्मचारी को वेतन एवं भत्तों के रूप में राषि ₹26028/–का अधिक भुगतान हुआ है। जिसका उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाए व तदोपरान्त सम्पूर्ण राषि की वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए।

Øe la[;k	ekg	fn;k x;k osru ¼₹½	ns; osru ¼₹½	vf/kd Hkqxrku ¼₹½
1	04/09	13568	11306	2262
2	05/09	7217	2188	5029
3	07/09	13984	11728	2256
4	08/09	12961	5413	7548
5	10/09	13984	8120	5864
6	11/09	11271	10255	1016
7	02/09	14369	12316	2053
			dqy ;ksx	26028

36 ¼i½ ₹657@&dk xyr ,oa vf/kd Hkqxrku %&

वाऊचर संख्या	9 माह 01/10
कार्य का नाम	बस स्टैण्ड की प्रथम मन्जिल पर दुकान का निर्माण

अनुमानित लागत	₹11296/–
अवार्डिड राषि	₹19521/–
प्रतिषतता	72.8% ऊपर शैडयूल रेट
ठेकेदार का नाम	श्री रणजीत सिंह

उक्त कार्य के प्रथम एवं अन्तिम बिल का भुगतान करते समय ठेकेदार को वास्तविक दरों से अधिक दरों पर भुगतान करने के कारण ₹657/–का अधिक भुगतान हुआ है। अधिक भुगतान ठेकेदार द्वारा नैगोसिएषन के बाद घटाई गई दरों पर भुगतान न करके नैगोसिएषन से पूर्व ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य हेतु भरी गई दरों के कारण हुआ है। अधिक भुगतान का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

Øe l[;k	en l0	en dk fooj.k	ek=k	uxkfl,'k u d cdn nj	uxkfl,'k u d iol nj	vUrj	vf/kd Hkxrku ¼₹½
1	2(ए)	Form work suspended soffits of Beam	5.46 M^2	106	110	4	22
2	2(बी)	Flat Surfaces	10.01 M^2	145	148	3	30
3	2(सी)	Edges of Slab	48-15 Rm	25	30	5	241
4	3	P/L MS/ Tor Steel	240 Kg	45.30	46.50	1.20	288
5	4	P/L CC 1:2:4	3-80 M^3	2630	2650	20	76
						dy ;kx	₹657@&

¼ii½ vfrfjDr enk d :i e ₹9897@&dk xyr ,o vfu;fer Hkxrku ½&

उक्त कार्य में निम्नलिखित मदों का भुगतान अतिरिक्त मद के रूप में किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :–

en l[;k	en dk fooj.k	ek=k	nj	eY; ¼₹½
2D	Form Work with Steel plates so as to give fair finishing, slopping are satering surfaces i/c folded plates where inclination to horizontal plan.	4.85 M^2	147.80	717

5	Excavation in earth work in foundation	.50 M^3	130	65
6	P/L Cement Concrette 1:6:12	.17 M^3	1370	234
7	Square Stone Masonry with hard Stone	1.35 M^3	2038	2751
8	20 MM thick Plaster	90.15 M^2	68	6130
			Total	**₹9897/-**

माप पुस्तिका में अतिरिक्त मदों की जाँच करने पर पाया गया कि उपरोक्त उल्लेखित अतिरिक्त मदें इस कार्य से सम्बन्धित न होकर C/o महाराणा प्रताप संस्कृत भवन देहरा के कार्य से सम्बन्धित थी जबकि भुगतान C/o बस स्टैण्ड की प्रथम मंजिल पर दुकान का निर्माण के प्रथम एंव अन्तिम बिल के अन्तर्गत किया गया है। अतः स्पष्ट किया जाए कि जब अतिरिक्त मदों का कार्य C/o बस स्टैण्ड की प्रथम मंजिल पर दुकान का निर्माण, कार्य से सम्बन्धित न होने के बावजूद ठेकेदार को ₹9897/–का भुगतान C/o महाराणा प्रताप संस्कृत भवन देहरा के कार्य से सम्बन्धित होने पर ही किन परिस्थितियों में किया गया है।

अतिरिक्त मदों के दर की गणना शैडयूल रेट से ऊपर 72.8% ऊपर किस आधार पर उक्त कार्य हेतु की गई है जबकि स्वतः स्पष्ट है कि उक्त कार्य में दर्षाई गई अतिरिक्त मदें उक्त कार्य से सम्बन्धित न होकर C/o महाराणा प्रताप संस्कृत भवन देहरा के कार्य से सम्बन्धित है।

प्रथम एंव अन्तिम बिल में सम्बन्धित ठेकेदार को ₹9897/–का अतिरिक्त मदों के रूप में गलत एंव अधिक भुगतान हुआ है जिसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए व सम्पूर्ण राषि सम्बन्धित ठेकेदार अथवा उत्तरदायी कनिष्ठ अभियन्ता से वसूली जानी सुनिष्चित की जाए।

37 30 बैग सीमेन्ट, ₹205/–प्रति बैग की दर से ₹6150/–की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार के द्वितीय एवं अन्तिम बिल से न करना:–

वाऊचर संख्याः	15(1) माह 01/2010
कार्य का नाम	C/o Retaining wall in Nallah Near Nanak Chand House in Ward no. 3
अनुमानित लागत	₹101000/–
अवार्डिड राषि	₹129790/–
प्रतिषतता	28.5% ऊपर
माप पुस्तिका	40 पेज 84 से 85

कार्य के द्वितीय एवं अन्तिम बिल की जाँच करने पर पाया गया कि कार्य हेतु सम्बन्धित ठेकेदार को 210 बैग सीमेन्ट जारी किया गया था व अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार जारी किए गए सीमेन्ट की वसूली ₹205/–प्रति बैग की दर से ठेकेदार के बिलों से की जानी अनिवार्य थी लेकिन द्वितीय एवं अन्तिम बिल तक ठेकेदार से 180 बैग सीमेन्ट की ही कटौती की गई थी। फलस्वरूप 30 बैग सीमेन्ट ₹205/–प्रति बैग की दर से ₹6150/–की वसूली ठेकेदार के द्वितीय एवं अन्तिम बिल से नहीं की गई है। अतः ₹6150/–की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से अविलम्ब की जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

38 Jh eku pUn lfonkdkj dk ₹2237@&dk vf/kd ,o xyr Hkqxrku %&

वाऊचर संख्याः	11 माह 01/2010
कार्य का नाम	स्टेडियम का निर्माण
उपषीर्ष	वाल्मीकि मोहल्ला की तरफ पौड़ियों का निर्माण
संविदाकार का नाम	मान चन्द
अनुमानित लागत	₹22771/–
आबंटित राषि	₹32930/–
प्रतिषतता	44.6% ऊपर

¼i½ वाऊचर की जाँच करने पर पाया गया कि मद संख्याः (3) (आर–आर मैसनरी इन सी0एम0 1:6) का भुगतान ₹530/–प्रति घनमीटर की स्थान पर ₹542/–प्रति घन मीटर करने के कारण ₹499/–का अधिक भुगतान सम्बन्धित ठेकेदार को हुआ है उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित संविदाकार द्वारा समझौता वार्ता में अपनी दर ₹542/–की जगह ₹530/–कर दी थीं लेकिन उक्त बिल में भुगतान ₹530/– की बजाए ₹542/–प्रति घन मीटर की दर से कर दिया गया है। अतः ₹499/–की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से की जाए। अधिक एवं गलत भुगतान की गणना निम्न प्रकार है।

Øe l[;k	en l0	en dk fooj.k	ek=k	ftl nj ij Hkqxrku gqvk gS	n; nj	vf/kd nj	xyr ,o vf/kd Hkqxrku ¼₹½
1	3	आर0आर0 मैसनरी	41.55	542	530	12	41.55x12=

498.60 =
499.00

¼ii½ इसके अतिरिक्त उक्त बिल में मद संख्याः 4 अतिरिक्त मद S.R. Masonary Coursed with Square Hard Stone in 1:6 हेतु दर विष्लेषण की दर ₹542.39 की जगह ₹995/—की दर से भुगतान करने के कारण ₹1638/—का सम्बन्धित ठेकेदार को अधिक भुगतान हुआ है। जिसकी वसूली अधिक एवं गलत भुगतान हेतु दोषी सम्बन्धित संविदाकार से की जानी सुनिष्चित की जाए। अधिक भुगतान का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :—

Øe la[;k	en la0	en dk fooj.k	ek=k	ns; nj	nh xbZ nj	vf/kd ,oa xyr Hkqxrku ¼₹½
1	4	Square Rubble Masonary With Hard Stone in 1:6	3.62 Sqm	542.39	995	452.61 x 3.62 = ₹1638/-

उक्त मद हेतु दर विष्लेषण का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :—

en dk dksM	'kSM;qy nj	izfr'krrk 44-60%	vfrfjDr en gsrq ns; nj	nh xbZ nj	vUrj
1107020300	375.10	167.29	375.10 + 167.29=542.39	995	452.61

39 fnukd 31-03-11 dks ₹424706@&dh vfxze jkf'k;ksa lek;kstu gsrq 'ks"k ½&

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.2011 को संलग्न परिषिष्ट ''छ'' के अनुसार ₹424706/—की राषि अग्रिमों के रूप में समायोजन हेतु शेष थी। उक्त असमायोजित अग्रिम राषियों में से ₹416153/—विभिन्न फर्मों, ठेकेदारों व विभागों को निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अग्रिम दिए गए हैं व शेष ₹8553/—नगर पंचायत कर्मचारियों को विभिन्न उद्देष्यों हेतु प्रदान की गई थी। उक्त असमायोजित राषियों में से अधिकतर अग्रिम लगभग 7 से 10 वर्ष पुराने हैं। 7 से 10 वर्ष पुराने अग्रिमों का समायोजन न होना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। सम्पूर्ण अग्रिमों के समायोजन करने हेतु तुरन्त प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाए व समायोजन न होने की अवस्था में सम्पूर्ण राषि सम्बन्धित फर्मों, विभागों, ठेकेदारों व नगर पंचायत कर्मचारियों जिनकों अग्रिम राषियाँ प्रदान की गई हैं, से वसूली जानी सुनिष्चित की जाएं व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

40 लघु आपत्ति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं की गई है।

41 निष्कर्ष :- लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– V(23)-Fin(LAD)Vol-2 दिनांक, षिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को आवष्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित की जाती है :–

पंजीकृत :- 1- सचिव, नगर पंचायत देहरा, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें।

2- निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला–2.

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

lfjf'k"V&---------------

uxj ipk;r ngjk] ftyk dkxMk d io vd{k.k ifronuk d vfu.khr ijk dh lph %&

¼d½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@60 l 03@62

1. पैरा 7 अनिर्णीत

¼[k½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 09@62 l 01@73

1. पैरा 7 अनिर्णीत
2. पैरा 8 अनिर्णीत
3. पैरा 9 अनिर्णीत

¼x½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@78 l 03@82

1. पैरा 9 अनिर्णीत
2. पैरा 17(ए) अनिर्णीत
3. पैरा 21(8 बी) अनिर्णीत
4. पैरा 21(सी) अनिर्णीत
5. पैरा 22 अनिर्णीत

¼?k½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@82 l 03@83

1. पैरा 8 अनिर्णीत
2. पैरा 9 अनिर्णीत

¼³½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@83 l 03@85

1. पैरा 8 अनिर्णीत
2. पैरा 13(ix) अनिर्णीत
3. पैरा 13(xiii) अनिर्णीत

4.	पैरा 14(i)	अनिर्णीत	
5.	पैरा 14(ix)	अनिर्णीत	

¼p½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@85 ls 03@88

1.	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत	
2.	पैरा 9(i)	अनिर्णीत	
3.	पैरा 12	अनिर्णीत	
4.	पैरा 13(i)	अनिर्णीत	
5.	पैरा 13(x)	अनिर्णीत	
6.	पैरा 15(ii)	अनिर्णीत	
7.	पैरा 15(vi)	अनिर्णीत	
8.	पैरा 15(vii)	अनिर्णीत	
9.	पैरा 15(viii)	अनिर्णीत	
10.	पैरा 15(ix)	अनिर्णीत	

¼N½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@88 ls 03@89

1.	पैरा 6(बी)	अनिर्णीत	
2.	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत	
3.	पैरा 9(i)	अनिर्णीत	
4.	पैरा 9(ii)	अनिर्णीत	
5.	पैरा 12	अनिर्णीत	
6.	पैरा 13(i)	निर्णीत	(रसीद संख्याः 18/24, दिनांक 07.09.11 के अन्तर्गत ₹1875/–की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
7.	पैरा 13(vi)	अनिर्णीत	
8.	पैरा 13(viii)	अनिर्णीत	
9.	पैरा 13(xvi)	अनिर्णीत	
10.	पैरा 13(xix)	अनिर्णीत	
11.	पैरा 13(xx)	अनिर्णीत	
12.	पैरा 15(iv)	अनिर्णीत	
13.	पैरा 15(v)	अनिर्णीत	
14.	पैरा 15(vi)	अनिर्णीत	

15.	पैरा 15(ix)	अनिर्णीत	

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/89 से 03/91

1.	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत	
2.	पैरा 6(iii)	अनिर्णीत	
3.	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत	
4.	पैरा 7(iv)	अनिर्णीत	
5.	पैरा 8(i)	अनिर्णीत	
6.	पैरा 8(ii)	अनिर्णीत	
7.	पैरा 8(iii)	अनिर्णीत	
8.	पैरा 9	अनिर्णीत	
9.	पैरा 11(i)	अनिर्णीत	
10.	पैरा 14(iii)	निर्णीत	(रसीद संख्या 18/25, दिनांक 07.09.11 के अन्तर्गत ₹777/–की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
11.	पैरा 14(iv)	निर्णीत	(रसीद संख्या 18/26, दिनांक 07.09.11 के अन्तर्गत ₹195/–की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
12.	पैरा 15(ii)	अनिर्णीत	
13.	पैरा 15(16)	अनिर्णीत	
14.	पैरा 15(21)	अनिर्णीत	
15.	पैरा 15(25)	अनिर्णीत	
16.	पैरा 15(28)	अनिर्णीत	
17.	पैरा 15(29)	अनिर्णीत	
18.	पैरा 15(39)	अनिर्णीत	
19.	पैरा 15(47)	अनिर्णीत	
20.	पैरा 16(i)	अनिर्णीत	
21.	पैरा 16(iii)	अनिर्णीत	
22.	पैरा 16(iv)	अनिर्णीत	
23.	पैरा 16(vi)	अनिर्णीत	

(झ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/91 से 03/95

1.	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत	

2.	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
3.	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत
4.	पैरा 8(ग)	अनिर्णीत
5.	पैरा 8(घ)	अनिर्णीत
6.	पैरा 8(ङ)	अनिर्णीत
7.	पैरा 8(च)	अनिर्णीत
8.	पैरा 8(छ)	अनिर्णीत
9.	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
10.	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत
11.	पैरा 9(घ)	अनिर्णीत
12.	पैरा 10	अनिर्णीत
13.	पैरा 11(ङ)	अनिर्णीत
14.	पैरा 11(छ)	अनिर्णीत
15.	पैरा 11(झ)	अनिर्णीत
16.	पैरा 11(ट)	अनिर्णीत
17.	पैरा 11(ण)	अनिर्णीत
18.	पैरा 11(त)	अनिर्णीत
18.	पैरा 11(ध)	अनिर्णीत
19.	पैरा 11(न)	अनिर्णीत
20.	पैरा 11(ब)	अनिर्णीत
21.	पैरा 12	अनिर्णीत
22.	पैरा 13(i)	अनिर्णीत
23.	पैरा 13(ii)	अनिर्णीत
24.	पैरा 13(iv)	अनिर्णीत
25.	पैरा 13(vii)	अनिर्णीत

¼¥½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@95 ls 03@2004

1.	पैरा 5(1)	अनिर्णीत
2.	पैरा 13	अनिर्णीत
3.	पैरा 14(i)	अनिर्णीत

4.	पैरा 14(ii)	अनिर्णीत	
5.	पैरा 14(iii)	अनिर्णीत	
6.	पैरा 14(iv)	अनिर्णीत	
7.	पैरा 15	अनिर्णीत	
8.	पैरा 17	अनिर्णीत	
9.	पैरा 20	अनिर्णीत	
10.	पैरा 21	अनिर्णीत	
11.	पैरा 22	अनिर्णीत	
12.	पैरा 23	अनिर्णीत	
13.	पैरा 24	अनिर्णीत	
14.	पैरा 25	अनिर्णीत	
15.	पैरा 26	अनिर्णीत	
16.	पैरा 27	अनिर्णीत	
17.	पैरा 28	अनिर्णीत	
18.	पैरा 29	अनिर्णीत	
19.	पैरा 30	अनिर्णीत	
20.	पैरा 31	अनिर्णीत	
21.	पैरा 32	अनिर्णीत	
22.	पैरा 34	अनिर्णीत	
23.	पैरा 35	निर्णीत	(₹342/–की वसूली खरीदे गए सामान की निविदाओं, माप पुस्तिकाओं में रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ, स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियाँ, उपयोग प्रस्तावों एवं अन्य सम्बन्धित रिकॉर्ड की सत्यापना एवं प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
24.	पैरा 36	अंषत निर्णीत	(क्रम संख्या 1,3,5,9 पर उल्लेखित सामान की भण्डार प्रविष्टियों व खपत की सत्यापना उपरान्त)
25.	पैरा 37	निर्णीत	(वर्तमान स्टॉक रजिस्टर में स्टील की स्टॉक प्रविष्टि की सत्यापना उपरान्त व 17 बिजली के खम्बों की खपत से सम्बन्धित प्रगति व इन्द्राज की माप पुस्तिका में प्रविष्टि की सत्यापना उपरान्त)

26.	पैरा 38	अनिर्णीत	
27.	पैरा 40	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
28.	पैरा 41	निर्णीत	(जारी किए गए सामान की खपत विवरणी के अनुसार खपत की जाँच उपरान्त प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
29.	पैरा 42(1)	अनिर्णीत	
30.	पैरा 43	अनिर्णीत	
31.	पैरा 44	अनिर्णीत	
32.	पैरा 45	अनिर्णीत	
33.	पैरा 46	अनिर्णीत	
34.	पैरा 47	अनिर्णीत	
35.	पैरा 48	अनिर्णीत	
36.	पैरा 49	अनिर्णीत	

¼V½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@04 ls 03@07

1.	पैरा 2(बी)	अनिर्णीत
2.	पैरा 2(सी)	अनिर्णीत
3.	पैरा 3(क)	अनिर्णीत
4.	पैरा 3(2)	अनिर्णीत
5.	पैरा 4(1)(ए)	अनिर्णीत
6.	पैरा 4(1)(बी)	अनिर्णीत
7.	पैरा 4(1)(सी)	अनिर्णीत
8.	पैरा 4(1)(डी)	अनिर्णीत
9.	पैरा 4(ii)	अनिर्णीत
10.	पैरा 4(iii)	अनिर्णीत
11.	पैरा 4(iv)	अनिर्णीत
12.	पैरा 5(i)	अनिर्णीत
13.	पैरा 5(ii)	अनिर्णीत
14.	पैरा 5(iv)(ii)	अनिर्णीत
15.	पैरा 6(i)	अनिर्णीत

16.	पैरा 7(i)	अनिर्णीत
17.	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
18.	पैरा 7(ii)(1)	अनिर्णीत
19.	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
20.	पैरा 7(iv)	अनिर्णीत
21.	पैरा 8	अनिर्णीत
22.	पैरा 9	अनिर्णीत

¼B½ vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu vof/k 04@07 ls 03@09

1.	पैरा 2(ख)	अनिर्णीत
2.	पैरा 3(1)	अनिर्णीत
3.	पैरा 3(2)	अनिर्णीत
4.	पैरा 4(क)	अनिर्णीत
5.	पैरा 4(ख)(1)	अनिर्णीत
6.	पैरा 4(ख)(2)	अनिर्णीत
7.	पैरा 4(ग)	अनिर्णीत
8.	पैरा 4(घ)	अनिर्णीत
9.	पैरा 4(ङ)(1)	अनिर्णीत
10.	पैरा 4(ङ)(2)	अनिर्णीत
11.	पैरा 4(च)	अनिर्णीत
12.	पैरा 4(छ)	अनिर्णीत
13.	पैरा 4(ज)	अनिर्णीत
14.	पैरा 4(झ)	अनिर्णीत
15.	पैरा 4(ञ)	अनिर्णीत
16.	पैरा 5(क)	अनिर्णीत
17.	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत
18.	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत
19.	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत
20.	पैरा 5(ङ)(1)	अनिर्णीत
21.	पैरा 5(ङ)(2)	अनिर्णीत

22.	पैरा 5(ङ)(3)	अनिर्णीत	
23.	पैरा 5(च)	अनिर्णीत	
24.	पैरा 5(छ)	अनिर्णीत	
25.	पैरा 5(ज)	अनिर्णीत	
26.	पैरा 5(झ)	अनिर्णीत	
27.	पैरा 5(ञ)	अनिर्णीत	
28.	पैरा 5(ट)	अंषत निर्णीत	(विजय सिंह, हेम राज, राजेन्द्र प्रसाद, करतार चन्द, कुलदीप चन्द, रतन चन्द व प्रीतम चन्द की सेवा पंजिकाओं में स्थायी चिकित्सा भत्ते की प्रविष्टि व व्यक्तिगत नस्तियों में विकल्प फार्मों की सत्यापना उपरान्त उक्त कर्मचारियों का स्थायी चिकित्सा भत्ते का भुगतान नियमित है)
29.	पैरा 5(ठ)	अनिर्णीत	
30.	पैरा 6(क)	अनिर्णीत	
31.	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत	
32.	पैरा 6(ग)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
33.	पैरा 6(घ)	अनिर्णीत	
34.	पैरा 6(ङ)	अनिर्णीत	
35.	पैरा 6(च)	अनिर्णीत	
36.	पैरा 6(छ)	अनिर्णीत	
37.	पैरा 6(ज)	अनिर्णीत	
38.	पैरा 7(क)	अनिर्णीत	
39.	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत	
40.	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत	
41.	पैरा 7(घ)	अनिर्णीत	
42.	पैरा 7(ङ)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर एवं अधिक दर्षाई गई तारकोल की टैक कोट की मद में खपत एवं माप पुस्तिका में रिकॉर्ड प्रविष्टि की सत्यापना उपरान्त)
43.	पैरा 8(क)(1)	अनिर्णीत	
44.	पैरा 8(क)(2)	अनिर्णीत	
45.	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत	
46.	पैरा 8(ग)	अनिर्णीत	

47.	पैरा 8(घ)	अनिर्णीत	
48.	पैरा 8(ङ)	अनिर्णीत	
49.	पैरा 9	निर्णीत	(दिनांक 31.03.11 की वास्तविक स्थिति वर्तमान प्रतिवेदन में सम्मलित)
50.	पैरा 10	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)